

राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांत

परचिय

- **पृष्ठभूमि:** राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांतों (डीपीएसपी) की अवधारणा का स्रोत स्पेनशि संवधान है जहाँ से यह आयरशि संवधान में आया था।
 - DPSP की अवधारणा आयरशि संवधान के अनुच्छेद 45 से आई है।
- **संवधानिक प्रावधान:** भारत के संवधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीतिनिदेशक सदिधांत (DPSP) शामिल हैं।
 - भारतीय संवधान का अनुच्छेद 37 नदिशक सदिधांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है।
 - इन सदिधांतों का उद्देश्य लोगों के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।
- **मौलिक अधिकार बनाम DPSP:**
 - मौलिक अधिकारों (FRs) के विपरीत DPSP का दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और वृहद स्तर पर कार्य करता है।
 - DPSP में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिये नीतियों और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
 - मौलिक अधिकार परकृत में नकारात्मक या नषिधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएँ आरोपित करते हैं।
 - दूसरी ओर नदिशक सदिधांत सकारात्मक नरिदेश हैं, DPSP कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
 - यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि DPSP और मौलिक अधिकार साथ-साथ चलते हैं।
 - DPSP मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है।
- **सदिधांतों का वर्गीकरण:** नदिशक सदिधांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये नरिदेश नमिनलखित रूप में वर्गीकृत हैं:
 - समाजवादी सदिधांत
 - गांधीवादी सदिधांत
 - उदार और बौद्धिक सदिधांत
- **समाजवादी सदिधांतों पर आधारित नरिदेश:**
 - **अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
 - **अनुच्छेद 39:** राज्य विशेष रूप से नमिनलखित नीतियों को सुरक्षित करने की दशा में कार्य करेगा:
 - सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
 - भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।
 - कृषि ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचना।
 - पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
 - श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
 - बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना।
 - **अनुच्छेद 41:** बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना।
 - **अनुच्छेद 42:** राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।
 - **अनुच्छेद 43:** राज्य सभी कामगारों के लिये नरिवाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।
 - **अनुच्छेद 47:** लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।
- **गांधीवादी सदिधांतों पर आधारित नरिदेश:**
 - **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
 - **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
 - **अनुच्छेद 43B:** सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।
 - **अनुच्छेद 46:** राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
 - **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले

पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।

◦ **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये।

■ **उदार-बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित नरिदेश:**

◦ **अनुच्छेद 44:** भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना।

◦ **अनुच्छेद 45:** सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।

◦ **अनुच्छेद 48:** कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।

◦ **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना।

◦ **अनुच्छेद 49:** राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।

◦ **अनुच्छेद 50:** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाना।

◦ **अनुच्छेद 51:** यह घोषणा करता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा:

◦ राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।

◦ अंतरराष्ट्रीय कानून और संधिदायित्वों के लिये सम्मान को बढ़ावा देना।

◦ मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के नपिटारे को प्रोत्साहित करना।

DPSP में संशोधन:

■ **42वाँ संविधान संशोधन, 1976:** इसमें नए नरिदेश जोड़कर संविधान के भाग-IV में कुछ बदलाव किये गए:

■ **अनुच्छेद 39A:** गरीबों को नशुलक कानूनी सहायता प्रदान करना।

■ **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

■ **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना।

■ **44वाँ संविधान संशोधन, 1977:** इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया जो घोषित करता है कि "राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।"

◦ इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्तिके अधिकार को भी समाप्त कर दिया।

■ **वर्ष 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम:** इसने अनुच्छेद 45 की वषिय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया।

मौलिक अधिकारों और DPSP के मध्य संघर्ष: संबद्ध मामले

■ **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और नदिशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा।

◦ इसने घोषणा की कि नदिशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें सहायक के रूप में कार्य करना चाहिये।

◦ इसने यह भी माना कि संविधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।

■ **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1967):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि नदिशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

◦ यह 'शंकरा प्रसाद मामले' में अपने स्वयं के नरिणय के विपरीत था।

■ **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ (1967) के अपने फैसले को खारज़ि कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी "मूल संरचना" को बदल नहीं सकती है।

◦ इस प्रकार, संपत्तिके अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

■ **मनिर्वा मलिस बनाम भारत संघ (1980):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान के "मूल ढाँचे" को नहीं बदल सकती है।

डीपीएसपी का कार्यान्वयन: संबद्ध अधिनियम और संशोधन:

■ **भूमिसुधार:** समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने के लिये लगभग सभी राज्यों ने भूमिसुधार कानून पारित किये हैं। इन उपायों में शामिल हैं:

◦ ज़मींदारों, जागीरदारों, इनामदारों जैसे बचौलियों का उन्मूलन।

◦ करियादारी व्यवस्था में सुधार जैसे- कार्यकाल की सुरक्षा, उचित करिया आदी।

◦ भूमि जोत पर सीलिंग का अधरीपण।

◦ भूमिहीन मज़दूरों के बीच अधरीष भूमि का वतरण।

◦ सहकारी खेती।

■ **श्रम सुधार:** समाज के श्रमिक वर्ग के हतियों की रक्षा के लिये नमिनलखित अधिनियम बनाए गए थे।

◦ न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (वर्ष 1948), श्रम संहिता, 2020

◦ अनुबंध श्रम वनियमन और उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1970)

◦ बाल श्रम नषिध और वनियमन अधिनियम (वर्ष 1986), वर्ष 2016 में बाल एवं कशोर श्रम नषिध व वनियमन अधिनियम, 1986 के रूप में पुनर्रनिति।

◦ बंधुआ मज़दूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1976)

- खनन और खनजि (विकास एवं वनियमन) अधनियिम, 1957
- महलला श्रमकीं के हलीं की रकषा के लयि मातृत्व लाभ अधनियिम (वर्ष 1961) और समान पारश्रमकी अधनियिम (वर्ष 1976) बनाया गया है।
- **पंचायती राज व्यवस्था:** 73वें संवधान संशोधन अधनियिम, 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णति संवैधानकी दायतिव को पूरा कयि।
 - देश के लगभग सभी हसिसों में ग्राम, बलॉक और ज़िला स्तर पर त्रसितरीय 'पंचायती राज प्रणाली' शुरू की गई थी।
- **कुटीर उद्योग:** अनुच्छेद 43 के अनुसार, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लयि सरकार ने कई बोर्ड स्थापति कयि हैं जैसे- ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखलि भारतीय हस्तशलिप बोर्ड, रेशम बोर्ड, कॉथर बोर्ड आदि, जो कुटीर उद्योगों को वतिव एवं वपिणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
- **शकिषा:** सरकार ने अनुच्छेद 45 में दयि गए प्रावधान के अनुसार, नशुलक और अनविरय शकिषा से संबंधति प्रावधानों को लागू कयि है।
 - इसे 83वें संवैधानकी संशोधन द्वारा पेश कयि गया एवं इसके पश्चात् शकिषा का अधिकार अधनियिम, 2009 पारति कयि गया। प्रारंभकी शकिषा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलकी अधिकार के रूप में स्वीकार कयि गया है।
- **ग्रामीण कषेत्र का वकिस:** सामुदायकी वकिस कार्यक्रम (वर्ष 1952), एकीकृत ग्रामीण वकिस कार्यक्रम (वर्ष 1978-79) और महात्मा गांधी राष्टरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम (मनरेगा- वर्ष 2006) जैसे कार्यक्रम वशिष रूप से ग्रामीण कषेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लयि शुरू कयि गए थे। जैसा की संवधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है।
- **स्वास्थ्य:** केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजति योजनाएँ जैसे- प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना (PMGSY) और राष्टरीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन (NHRM) को भारतीय राज्य के सामाजकी कषेत्र की ज़मिमेदारी को पूरा करने के लयि लागू कयि जा रहा है।
- **पर्यावरण:** वन्यजीव (संरक्षण) अधनियिम, 1972; वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986 को क्रमशः वन्यजीवों एवं वनों की सुरक्षा के लयि अधनियिमति कयि गया है।
 - जल और वायु प्रदूषण नयितरण अधनियिमों ने केंदरीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड की स्थापना के लयि प्रावधान कयि है।
- **वसिगत संरक्षण:** प्राचीन और ऐतिहासकी स्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल व अवशेष अधनियिम (वर्ष 1958) राष्टरीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रकषा के लयि अधनियिमति कयि गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/directive-principles-of-state-policy>

